

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

(ISO : 9001 : 2015)

पंजीकृत कार्यालय: 5वां तल, ब्लॉक 2, प्लेट ए तथा बी, एनबीसीसी टावर, ईस्ट किडवईनगर, नई दिल्ली -110023

फोन : +91-11- 24662777 वेबसाइट: www.iifcl.org

CIN : U67190DL2006GOI144520

दीर्घकालिक इन्फ्रास्ट्रक्चर बंधपत्रों (बॉन्ड्स) की मोचन/ परिपक्वता सूचना

(श्रृंखला I & II)

आपके तत्काल ध्यान की महत्ता एवं आवश्यकता

क्र.सं.

दिनांक

प्रिय बंधपत्रधारक (कों)

संदर्भ: आपका फोलियो सं./ डीपी आईडी तथा लाभार्थी (क्लाइंट) आईडी-----

विषय: वित्त वर्ष 2010-2011 में निर्गत आईआईएफसीएल दीर्घकालिक इन्फ्रास्ट्रक्चर बंधपत्र (एलटीआईबी) शेयर अंश (श्रृंखला 1 एवं 2) का मोचन/ परिपक्वता सूचना

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के द्वारा जारी किए गए शीर्षांकित बंधपत्र (बॉन्ड्स) दिनांक 28 मार्च, 2021 (परिपक्वता तिथि) को परिपक्व हो रहे हैं और विवरण पुस्तिका दिनांकित 1 फरवरी, 2011 की शर्तानुसार एलटीआईबी पर परिपक्वता तिथि के उपरांत कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। लाभ का भुगतान उन बंधपत्रधारकों को होगा जिनका नाम यथा दिनांक 13-03-2021 ('रिकार्ड तिथि') पर बंधपत्रधारकों के रजिस्टर में प्रकट हो रहा होगा।

आप के पंजीकरण के विवरण हमारे रजिस्टर (पंजी) एवं शेयर अंतरण एजेंट (''आरटीए''), केफिन टेक्नोलोजीज प्रायवेट लिमिटेड ("KFin") के रजिस्टर में यथा 11 दिसंबर, 2020 को हैं, जोकि निम्नवत है:

प्रथम धारक का नाम *		
पता*		
	पिन :	
पैन (PAN)		
बैंक- खाता विवरण*		
ई-मेल आईडी		
मोबाईल नं.		
मोचन/ परिपक्वता मूल्य (रु.)	श्रृंखला -1 (वार्षिक)	श्रृंखला -2 (संचयी - 10 वर्ष)
मोचन/ परिपक्वता राशि एक प्रतीकात्मक राशि हैं और रिकार्ड तिथि पर यथा बंधपत्र धारकता के आधार पर पुनः परिकलित (गणना) की जाएगी।	बंधपत्रों की संख्या	
	मूलधन प्रति बंधपत्र	

<p>मोचन एवं ब्याज राशि टीडीएस एवं लागू टीडीएस की सकल राशि है जो काटी जा सकती है। कृपया अन्य महत्वपूर्ण निर्देश के नोट 4 का संदर्भ लें</p>	<p>ब्याज प्रति बंधपत्र</p>		
	<p>प्रति बंधपत्र कुल मोचन/ परिपक्वता राशि*</p>		

सूचना :

* यदि आपके नाम, पता एवं बैंक खाता में कोई बेमेलपन/ परिवर्तन है तो आपसे अनुरोध है कि निम्नांकित उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन करते हुए आवश्यक सूचना को अद्यतित करें। यह हमें आपको समय पर लाभ का भुगतान करने में सहायता करेगा।

भौतिक प्रमाणपत्र बंधपत्रधारक (कों) के लिए निर्देश:

कृपया ध्यान दें कि परिपक्वता लाभ एनईसीएस (नेशनल इलैक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम) मोड के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। अतः आरटीए (' 'केफिन टेक्नोलोजीज प्रा. लि. ' ') के साथ विधिवत हस्ताक्षरित पत्र के पत्र के साथ बैंक का एक कैंसिल चेक उपलब्ध कराएं तथा कथोक्त चेक, जोकि केफिन टेक्नोलोजीज प्रायवेट लिमिटेड के पास भेजना है, के सामने या पीछे की ओर लाभार्थी के फालियो नंबर का उल्लेख करें और इसे 5 मार्च, 2021 या इससे पहले अवश्य भेज दें।

नाम अथवा पते के बदलाव होने पर कृपया प्राधिकृत पहचान पत्र (आईडी) एवं पता का प्रमाण संलग्न करें

* कैंसिल चेक की जरूरत आपके बैंक खाते में परिपक्वता राशि सीधे इलैक्ट्रॉनिक/एनईएफटी/ एनएफसीएस/ आरटीजीए भुगतान के लिए आवश्यक है। हालांकि, आपको अपना खाता सक्रिय रखना है जिसके असफल होने पर सीधे इलैक्ट्रॉनिक/एनईएफटी/ एनएफसीएस/ आरटीजीए भुगतान सफलतापूर्वक नहीं होगा। इसके साथ ही जब आप चेक कैंसिल कर रहे हों तो यह सुनिश्चित करें कि खाता संख्या और आईएफएस कोड पर कोई उपरिलेखन या काट छांट न की जाए।

भौतिक बंधपत्रधारी आरटीए को einward.ris@kfintech.com ई-मेल पर कथित दस्तावेजों की स्कैन प्रतियां भेज सकते हैं या फिर वैकल्पिक तौर पर केफिन टेक्नोलोजीज प्रायवेट लिमिटेड को (यूनिट: आईआईएफसीएल इन्फ्रा बॉर्ड्स 2010-11) सेलेनियम टावर बी, प्लॉट सं. 31-32, फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली, हैदराबाद 500 032, तेलंगाणा, भारत को सभी सही विवरण/सूचनाएं उपलब्ध कराते हुए लिख सकते हैं। जो ऊपर उल्लेखानुसार संबद्ध स्वप्रमाणित दस्तावेज एवं मान्य संपर्क नंबर के साथ भेज सकते हैं।

डीमैट बंधपत्रधारक (कों) के लिए निर्देश:

कृपया अद्यतित खाता विवरणों के साथ मोचन हेतु सुनिश्चित रिकार्ड तिथि से एक दिन पूर्व ही यथा 12 मार्च, 2021 से पहले अपने डीमैट खाता की स्थिति को सक्रिय रखें ।

डीमैट खाताधारक अपने डीमैट खाता, बैंक खाता या किसी अन्य अद्यतन हेतु खाते की सक्रियता के लिए अपने संबद्ध जमा सहभागी (डिपोजिटरी पार्टीसिपेंट) से संपर्क कर सकते हैं ताकि परिपक्वता तिथि पर हमें लाभ अंतरित करने सुगमता हो।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश:

1. एन ई सी एस या अन्य इलैक्ट्रॉनिक भुगतान विधा बैंक खाता विवरण की परिपूर्णतः पर निर्भर करता है, इसमें मैगनेटिक इंक करेक्टर रिकगनीशन (' 'एमआईसीआर' ') (माइकर) कोड अथवा इंडियन फाइनेंसियल सिस्टम कोड (' 'आईएफएस कोड' ') भी शामिल है जोकि एक चेक लीफ पर प्रकट होता है।
2. यदि आईआईएफसीए कंपनी/ आर टी ए/ बैंक ने समय पर भुगतान प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है लेकिन बंधपत्र खाताधारक को परिपक्वता राशि खाते में प्राप्त नहीं होती तो इस देरी के लिए आईआईएफसीएल कंपनी/ आरटीए/ बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। परिपक्वता तिथि के बाद एलटीआईबीएज (दीर्घ कालिक निवेश बांड) पर कोई भी ब्याज नहीं उपार्जित/देय नहीं होगा।

3. यदि पते में कोई परिवर्तन है, तो आरटीए (भौतिक बंधपत्रधारक) / निक्षेपागार सहभागी (डीमैट बंधपत्रधाकरक) के साथ अपने वर्तमान पते का अद्यतन सुनिश्चित करें।
4. यदि परिपक्वता तिथि पर एनईसीएस के माध्यम से या किसी अन्य इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से परिपक्वता लाभ का भुगतान असफल रहता है तो बैंक उस बंधपत्र धारक के नाम पर बॉन्ड वारंट्स/ डिमांड ड्राफ्ट जारी करेगा, जिसका नाम आरटीए के बांडहोल्डर रजिस्टर में जैसा लिखा है और/ या निक्षेपक के द्वारा उपलब्ध कराया गया है और ठीक उसी के अनुसार पंजीकृत डाक/ स्पीडपोस्ट से पूर्णतः बंधपत्र धारक की अपने जोखिम पर एक सर्टिफिकेट आफ पोस्टिंग पर भेजा जाएगा।

5. भौतिक बॉन्ड धारक (कों) हेतु यथा रिकार्ड तिथि पर- टीडीएस पर निर्देश:

i. रेजीडेंट (आवासी) बंधपत्रधारी (आरआई)

श्रृंखला 1 और श्रृंखला 2 बंधपत्रधारियों के लिए, ब्याज भुगतान 7.5% की दर से टीडीएस के विषयाधीन है (यदि लागू हो)। ऐसे मामलों में, जहां निवेशक को मोचन लाभ पर ब्याज भुगतान 5000/- रू से अधिक है। यहां तक कि जिन मामलों में बंधपत्र अन्य श्रृंखला धारित हो लेकिन सभी धारितों में समेकित ब्याज का भुगतान निवेशक के द्वारा मोचन पर 5000/- रू. से अधिक है, टीडीएस लागू होगा।

उस स्थिति में टीडीएस लागू नहीं होगा यदि बंधपत्रधारी 5 मार्च 2021 तक या उससे पहले एक विधिमान्य फार्म 15 जी/एच प्रस्तुत करता है।

यदि बंधपत्रधारी 5 मार्च, 2021 या उससे पहले कर अधिकारी के आदेश को को धारा 197 के अधीन शून्य स्पष्टीकृत/ निम्न टीडीएस दर का आदेश आरटीए के पास प्रस्तुत करता है तो आदेश में उल्लिखित टीडीएस की दर लागू होगी जहां पर टीडीएस लागू है लेकिन बंधपत्रधारी के पास मान्य पैन नं नहीं है तब टीडीएस 20% की दर से लागू होगा।

ii. गैर आवासी- बंधपत्रधारी (एनआरआई):

ब्याज भुगतान पर 31.2% की दर से टीडीएस लागू होगा। इसके अलावा यदि बंधपत्रधारी धारा 197/195 के अनुसार शून्य या निम्न टीडीएस दर स्पष्टीकृत कर अधिकारी का आदेश 5 मार्च, 2021 तक या पहले प्रस्तुत करता है तो आदेश में उल्लिखित टीडीएस दर लागू होगी।

iii. आवासी एवं गैर-आवासी बंधपत्रधारियों से अनुरोध है कि परिपक्वता के समय मूल बंधपत्र प्रमाणपत्र समर्पित न करें। परिपक्वता राशि उन्हीं बंधपत्रधारियों को चुकता की जाएगी, जिनके नाम रिकार्ड तिथि पर अर्थात् 13 मार्च, 2021 को बंधपत्रधारी के रजिस्टर में प्रकट होंगे।

5. डीमैट बंधपत्रधारियों के लिए यथा रिकार्ड तिथि पर- टीडीएस पर निर्देश:

i. आवासीय बंधपत्रधारी:

टीडीएस लागू नहीं होगा।

ii. गैर-आवासीय बंधपत्रधारी:

ब्याज भुगतान पर 31.2% की दर से टीडीएस लागू होगा। इसके अलावा यदि बंधपत्रधारी धारा 197/195 के अनुसार शून्य या निम्न टीडीएस दर स्पष्टीकृत कर अधिकारी का आदेश 10 मार्च, 2021 तक या पहले प्रस्तुत करता है तो आदेश में उल्लिखित टीडीएस दर लागू होगी।

7. यह मोचन बंधपत्र विवरण पुस्तिका में निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार अभिशासित होगा।

8. बंधपत्रधारियों को सलाह दी जाती है कि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से बचें और किसी भी धोखेबाज व्यक्ति/ संस्था/ या गलत प्रतिनिधित्व वाली संस्था/ या हमारे साथ सहयोगी बताकर संवाद करने वाली किसी भी संचार से बचें या दूर रहें।

यदि किसी भी प्रकार की पूछताछ करनी है तो कृपया हमारे आरटीए, केफिन टेक्नोलॉजीज प्रायवेट लिमिटेड (यूनिट: आईआईएफसीएल इन्फ्रा बांड-2010-2011) सेलेनियम टावर बी, प्लॉट सं. 31-32, फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली, हैदराबाद 500 032, तेलंगाना, भारत से संपर्क करें अथवा टाल फ्री नं. 1800 345 4001 या ई-मेल: einward.ris@kfintech.com पर संपर्क करें। इसके साथ ही आप ई-मेल: BONDSKARVY@IIFCL.ORG पर भी संपर्क कर सकते हैं।

सधन्यवाद,

भवदीय ,

कृते इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)

ह/-

(संजीव कुमार)

उप महाप्रबंधक